

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-11-04-2026

साइबर क्राइम थाना बस्ती टीम द्वारा साइबर अपराध करने के लिए गांव-गांव घूमकर मोबाइल फोन खरीदने वाले गैंग के सरगना सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 156 अदद एंड्रायड मोबाइल व 180 अदद कीपैड मोबाइल, 285 अदद फोन मदरबोर्ड, एक अदद डीसी मशीन, एक अदद पावर बूट केबल व रुपये 21,200/- नगद बरामद किया गया |

साइबर क्राइम थाना बस्ती टीम द्वारा दिनांक-11.04.2026 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर गांव-गांव में घूमकर पुराने मोबाइल फोन खरीद कर साइबर अपराध कारित करने वाले गैंग के सरगना सहित तीन अभियुक्तों यथा क्रमशः 1- श्यामपाल पुत्र रघुवीर, 2- मिराजुल रहमान शेख पुत्र अमरुल्ला, 3- अतीकुर पुत्र आजमाईल शेख को हड़िया चौराहे से मेहदावल रोड पर लगभग 2 कि०मी० आगे भरवलीया शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से A-156 अदद एंड्रायड मोबाइल व 180 अदद कीपैड मोबाइल, B-285 अदद फोन मदरबोर्ड, एक अदद डीसी मशीन व एक अदद पावर बूट केबल व C-रुपये 21,200/- नगद बरामद किया गया |

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध साइबर क्राइम थाना बस्ती पर मु०अ०सं०-08/2026 धारा- 317(2), 317(5), 61(2), 3(5) BNS व 66B IT Act पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- श्यामपाल कश्यप पुत्र रघुवीर कश्यप उम्र करीब 26 वर्ष निवासी खल्लपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली (उ०प्र०) |
- 2- मिराजुल रहमान शेख पुत्र अमरुल्ला उम्र करीब 28 वर्ष निवासी स्वरूप नगर मुर्शिदाबाद थाना बेलडंगा (पश्चिम बंगाल राज्य) |
- 3- अतीकुर रहमान पुत्र आजमाईल शेख उम्र करीब 27 वर्ष निवासी स्वरूप नगर मुर्शिदाबाद थाना बेलडंगा (पश्चिम बंगाल राज्य) |

बरामदगी का विवरण-

- 1- 156 अदद एंड्रायड मोबाइल व 180 अदद कीपैड मोबाइल |
- 2- 285 अदद फोन मदरबोर्ड, एक अदद डीसी मशीन व एक अदद पावर बूट केबल |
- 3- रुपये 21,200/- नगद |

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार साइबर अपराधियों द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मोबाइल की IMEI को ब्लॉक कर दिया जा रहा है जिससे हर बार हमारे लिए नई मोबाइल लेना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों द्वारा पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में घूम-घूम कर पुराने मोबाइल फोन खरीदा जाता हैं एवं उनको कलकत्ता ले जाकर दुकानदारों को बेच दिया जाता है, जिनके माध्यम से हम लोगों द्वारा खरीदे गए मोबाइल साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाता है जिनके द्वारा मोबाइल के मदरबोर्ड में इनबिल्ट IMEI का उपयोग कर साइबर अपराध जैसी घटना की जाती है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना कुलदीप कुमार त्रिपाठी जनपद बस्ती |
- 2- उ०नि० रामफल चौरसिया साइबर थाना जनपद बस्ती |
- 3- हे०का० ऋषिवेद तिवारी, हे० का० अंगद मौर्या, हे०का० पवन कुमार यादव, का० अमित कुमार झा, का० ईशान्त कुमार साइबर थाना जनपद बस्ती |

